	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.07.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थिया अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं 1 ने पूर्व पेशी पर इकबालिया जवाब पेश किया है जिससे तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट पेश होने की आवश्यकता नहीं है एवं सीधे बहस हेतु निवेदन किया। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा रिपोर्ट पेश नहीं करने से उनका जवाब बंद कर बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर प्रकरण निस्तारण इस प्रकार किया जाता है संक्षेप में निर्णय इस प्रकार है कि –	

प्रार्थना पत्र सं– 78/2023 **बउनवान छितर लाल बनाम पुष्पा बाई वगै0**
दायरा दिनांक– 10.11.2023 **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आरटीएक्ट**

निर्णय

संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि खाता संख्या नयी 16 पुरानी 13 के खसरा संख्या 15 रकबा 0.11है0, खसरा संख्या 16 रकबा 0.11है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22है0 किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम चक मालिकपुरा पटवार हल्का धरावन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रतिपक्षी सं 1 पुष्पाबाई पत्नी स्व0 छीतरलाल हिस्सा 1/2 व महावीर पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/2 अंकित चली आ रही है जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि भूमि के पूर्व खसरा 11 रकबा 1बिघा 9 बिस्वा नरही अव्वल में खातेदार कॉलम में मु0 पुष्पाबाई बेवा छीतरलाल, छीतरलाल, महावीर पि0 हीरालाल कोम मीना सा0 देहखेडा गैर खातेदार में अंकित चली आ रही थी किन्तु दोहराने सेटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों ने प्रार्थी छीतरलाल को बिना सुचना व सुनवाई का अवसर दिए ही प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया एवं पुष्पाबाई पत्नी स्व0 छीतरलाल हिस्सा 1/2 व महावीर पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/2 अंकित कर दिया जो अनुचित व असैवाधिक शून्य इन्द्राज है जिसके आधार पर प्रतिपक्षी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 मृतक महावीर पुत्र हीरालाल का फोती इन्तकाल खुलवाकर वाद वर्णित कृषि भूमि को रहन बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थी को कानुनी अधिकार प्राप्त है कि वह खाता संख्या 16 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिपक्षी सं 1 मु0 पुष्पाबाई बेवा हीरालाल, छीतरलाल, महावीर पि0 हीरालाल कौम मीना सा0 देहीखेडा अंकित करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित पुष्पाबाई पत्नी स्व0 छीतरलाल हिस्सा 1/2 व महावीर पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/2 को विलोपित करवाया जाना आवश्यक है उक्त इन्द्राज को कभी भी सक्षम न्यायालय में घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का वादीपत्र प्रस्तुत कर शुद्ध करवाया जा सकता है। वाद वर्णित कृषि भूमि को प्रतिपक्षी अपने नाम का लाभ लेकर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है यदि प्रतिपक्षीगण कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद विषयक कृषि भूमि पर प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 को मूल वाद के निस्तारण जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिपक्षी सं 1 पुष्पाबाई की तरफ से इकबालिया जवाब पेश कर कथन किया गया कि पुष्पाबाई स्व0 छीतरलाल का हिस्सा जमाबंदी में गलत इन्द्राज है

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जिसको विलोपित करवाने का अधिकार प्रार्थी को है प्रतिपक्षी स 1 पुष्पाबाई के पति का नाम हीरालाल है तथा प्रार्थी छीतरलाल प्रतिपक्षी सं 1 का बडा लडका है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार है। शेष प्रतिपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनकी विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि वाद वर्णित कृषि भूमि को प्रतिपक्षी अपने नाम का लाभ लेकर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है यदि प्रतिपक्षीगण कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रतिपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में अनापत्ति पेश की। बहस समाहत पत्रावली की गई।

हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को घ्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रतिपक्षीगण के जवाब में अंकित कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेज से साबित होता है कि प्रार्थी छितरलाल पुत्र स्व0 हीरालाल जाति मीणा का वाद वर्णित कृषि भूमि के पूर्व गैर खातेदार खातेदार मूल पुरूष हीरालाल वल्द गोपी जाति मीना के वैध उत्तराधिकारी है। पत्रावली में उपस्थित जमाबंदी सम्वत् 2045–48 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वाद विषयक कृषि भूमि पर मु0 पुष्पाबाई बैवा हीरालाल, छीतरलाल, महावीर पि0 हीरालाल कोम मीना सा0 देइखेडा बतौर गैरखातेदार अंकित है। पत्रावली में उपस्थित जमाबंदी सम्वत् 2075–78 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वाद विषयक कृषि भूमि पर प्रतिपक्षी सं 1 व प्रतिपक्षी सं 2 ता 4 के मृतक पिता महावीर पुत्र हीरालाल का नाम अंकित है प्रार्थी का नाम रिकॉड में अंकित नहीं है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी छितरलाल का भी वाद विषयक कृषिभूमि पर हक अधिकार निहित है। नामान्तकरण की कार्यवाही से किसी व्यक्ति के हक व अधिकारों का विधिवत निर्णय नहीं किया जा सकता है और न ही खातेदार के खातेदारी अधिकार कानूनी रूप से समाप्त होते है। वाद विषयक कृषि भूमि में निहित हक व अधिकारों का निर्णय मूल वाद में उभयपक्ष के साक्ष्य लिए जाने के बाद जा सकेगा। प्राथमिक दृष्ट्या सुविधा का सन्तुलन का भार व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ता फैसला मूल वाद तक वाद विषयक कृषि भूमि खाता संख्या नयी 16 पुरानी 13 के खसरा संख्या 15 रकबा 0.11है0, खसरा संख्या 16 रकबा 0.11है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22है0 किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम चक मालिकपुरा पटवार हल्का धरावन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पर प्रतिपक्षीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम का लाभ लेकर उक्त कृषि भूमि का रहन, बय नहीं करें न स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें तथा रिकार्ड एवं मोके की यथास्थिति ता फेसला मूल वाद तक बनाये रखे। पत्रावली फैसल शूमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)